# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : [illegible] 6.80/2005 सरकार बनाम चन्द्रा राम बैरवा

| कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 6-12-17 | पत्रावली पेश हुई। आवंटन दिलाई गई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। श्री हीरासिंह रातंडावाल एड० का निधन होने से वकीलों ने कार्य स्थगित रखा अतः वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 13-12-17 को पेश हो।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय)<br>जयपुर | |
| 13-12-17 | पत्रावली पेश हुई। आवंटन दिलाई गई। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 20-12-17 को पेश हो।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय)<br>जयपुर | |
| 20-12-17 | पत्रावली पेश हुई। राजकीय अभिभाषक उप०। आवंटन दिनांक 4-06-1972 बहक धन्नालाल पुत्र मोतीलाल, निवासी-चाकसू को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियमों के नियम 16(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।<br>अति. कलक्टर (द्वितीय)<br>जयपुर | पद्दाय 158/304 |

# न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 80/2005

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. धन्नालाल पुत्र श्री मांगीलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–चाकसू, जिला–जयपुर (मृतक)।
   - 1/1 रामू पुत्र स्व0 श्री धन्नालाल, जाति–गुर्जर, निवासी–वार्ड नं0 8, चाकसू, जिला–जयपुर (मृतक)।
     - 1/1/1 रामनाथ पुत्र श्री मांगीलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–वार्ड नं0 13 मामोडिया का मौहल्ला, शीतला प्रसाद की पुरानी हवेली के पास, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
     - 1/1/2 भंवरी पत्नी श्री रामनाथ, जाति–गुर्जर, निवासी–वार्ड नं0 13 मामोडिया का मौहल्ला, शीतला प्रसाद की पुरानी हवेली के पास, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
     - 1/1/3 बोदू पुत्र श्री रामनाथ, जाति–गुर्जर, निवासी–वार्ड नं0 13 मामोडिया का मौहल्ला, शीतला प्रसाद की पुरानी हवेली के पास, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
     - 1/1/4 रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री धन्नालाल, जाति–गुर्जर, निवासी–वार्ड नं0 13 मामोडिया का मौहल्ला, शीतला प्रसाद की पुरानी हवेली के पास, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
     - 1/1/5 मन्ना पत्नी भागवता, पुत्री श्री रामनाथ, जाति–गुर्जर, निवासी–हाडा की ढाणी, जमात के आगे, पोस्ट निवाई जिला–टोंक।
     - 1/1/6 छोटा पत्नी रमेश, पुत्री श्री रामनाथ, जाति–गुर्जर, नि0–अनुराग हॉस्पिटल के सामने, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

( प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1972 उप खण्ड अधिकारी, जयपुर बहक धन्नाराम पुत्र मांगीलाल, जाति–गुर्जर वाके ग्राम रधुनाथपुरा आ0ख0नं0 77 रकबा 8 बीधा )।

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 20.12.2017

ग्राम रधुनाथपुरा की साबिका आराजी खसरा नं0 77 रकबा 8 बीधा किस्म जमीन गैर–मुमकीन नदी उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनाांक 04.06.1972 को धन्नाराम पुत्र श्री मांगीलाल, जाति–गुर्जर, निवासी–चाकसू को आंवटित की गई है, इस आंवटित आराजी पर आंवटी का कब्जा नही होने के कारण कलक्टर (राजस्व) द्वारा उनके पत्र क्रमांक राजस्व/13457 दिनांक 2.12.1983 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आंवन्टन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये अप्रार्थी के वारिसान बावजूद तामील अनुपस्थित रहें अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि आवंटन दिनांक 04.06.1972 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरित किया गया हैं। आराजी खसरा नं0 77 रकबा 08 बीधा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने से पूर्व वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। आवंटन से पूर्व यदि मौके एवं राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट की जाती और गौर किया जाता तो गलत आवंटन हो ही नहीं सकता था। आवंटित की गई भूमि की किस्म गैर–मुमकिन नदी है और मौके पर नदी/नाला हैं। काश्त योग्य नहीं हैं। आंवन्टी ने कब्जा प्राप्त नही किया। वारिसान ने इस आंवन्टन के लिऐ कोई चाराजोई नहीं की है। आंवटित आराजी आंवटन नियमों के अन्तर्गत आंवटन हेतु उपलब्ध नहीं थी और नियमों के विपरीत आंवटित की गई हैं। आंवटी का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं और आंवटन की शर्तो की पालना भी नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आंवटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने आंवटी का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहने और आंवटन की शर्तो की पालना भी नहीं किये जाने कथन किया हैं, जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार, कोटखावदा की रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/17/2654 दिनांक 9.8.2017 से होती है

होने का तथ्य अंकित किया है । तहसीलदार, कोटखावदा ने अपनी रिपोर्ट में धन्नालाल पुत्र मांगीलाल गुर्जर नाम के किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं होने एवं मौके पर खाली होने का कथन अंकित किया हैं। इसके विपरित पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2028–2031 में वादग्रस्त आराजी गैर–मुमकिन नदी/गैर–मुमकिन नला दर्ज हैं। आवन्टन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त आराजी को गैर–मुमकिन नदी होना अपने आवन्टन आदेश में जाहिर किया हैं जो स्पष्ट रूप से जाहिर हैं कि नियमों के विपरित आवन्टन किया गया हैं क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत ऐसी आराजी आवन्टन हेतु वर्जित हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने का प्रावधान हैं। आंवटित आराजी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन हेतु अनुपलब्ध आराजी थी इसके बावजूद भी राजस्व अभिलेख में दर्ज गैर–मुमकीन नदी/नला आराजी का नियमों के विपरीत आवंटन किया गया है जो नियमों के विपरीत होने से अवैध है और निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा–काश्त नहीं होना भी जाहिर हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार आंवटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना न करने, मौके पर कब्जा काश्त न होने तथा नियमों के विपरीत आवंटन किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित पाते है। आवन्टन दिनांक 04.06.1972 बहक धन्नाराम पुत्र मांगीलाल निवासी–चाकसू को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियमों के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर